

पत्र सं०-08/ज०सं०(नि०)ल०सि०-राँची-03/2013 :-

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, तदेन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल हुसैनाबाद के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के नियम-16 एवं 17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 1927 दिनांक- 21.04.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित है।

2. श्री मिश्र के दिनांक- 30.06.2017 को सेवानिवृति हो जाने के कारण उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43बी के अन्तर्गत सम्परिवर्तित किया जाता है।

3. उक्त प्रस्ताव पर सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।


ह०/-

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 42 राँची/दिनांक 04-07-18

प्रतिलिपि :- अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-03), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल हुसैनाबाद/श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता, 1B/303 चन्द्रा रेसीडेंसी, चेशायर होम रोड, पो०-बरियातु (राँची)/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


02/07/18
(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव